

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष-2235

मद क्रमांक-1

एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत योजना) हेतु राशि ₹ 820.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,20,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-2

आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक हेतु राशि ₹ 700.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,00,00,000 के का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-3

सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों के लिये मातृ वंदना योजना अंतर्गत द्वितीय प्रसव हेतु राज्य शासन द्वारा रूपये 5000 अनुदान देने हेतु राशि ₹ 400.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-4

एकीकृत बाल विकास योजना हेतु राशि ₹ 3300.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 33,00,00,000 के का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-5

शुचिता योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत) हेतु राशि ₹ 400.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष-2236

मद क्रमांक-6

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत) हेतु राशि ₹ 580.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,80,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष-4235

मद क्रमांक-7

आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण हेतु राशि ₹ 1204.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,04,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 55
मुख्य शीर्ष-2235

मद क्रमांक-1

एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता योजना) अंतर्गत हेतु राशि ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-2

आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक हेतु राशि ₹ 850.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,50,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-3

सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों के लिये मातृ वंदना योजना अंतर्गत द्वितीय प्रसव हेतु राज्य शासन द्वारा रूपये 5000 अनुदान देने हेतु राशि ₹ 600.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-4

एकीकृत बाल विकास योजना हेतु राशि ₹ 1500.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 15,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-5

शुचिता योजना (राज्य योजना समान्य अंतर्गत) हेतु राशि ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष-2236

मद क्रमांक-6

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना (राज्य आयोजना समान्य अंतर्गत) हेतु राशि ₹ 480.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,80,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष-4235

मद क्रमांक-7

आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण हेतु राशि ₹ 950.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 9,50,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-8

आंगनबाड़ियों का निर्माण हेतु राशि ₹ 1334.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 13,34,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष-2235

मद क्रमांक-1

एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत योजना) हेतु राशि ₹ 240.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,40,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-2

आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक हेतु राशि ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-3

सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों के लिये मातृ वंदना योजना अंतर्गत द्वितीय प्रसव हेतु राज्य शासन द्वारा रुपये 5000 अनुदान देने हेतु राशि ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-4

एकीकृत बाल विकास योजना हेतु राशि ₹ 610.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,10,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-5

शुचिता योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत) हेतु राशि ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष-2236

मद क्रमांक-6

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत) हेतु राशि ₹ 130.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,30,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष-4235

मद क्रमांक-7

आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण हेतु राशि ₹ 412.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,12,00,000 का प्रावधान किया गया है।